

भलकौर वगै० बनाम राजस्थान सरकार  
मु०नं० 88/2020  
प्रार्थना पत्र 111,128

दिनांक - 01.01.2021 पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। वकील प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर फर्द सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवायी जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा एलआरएक्ट धारा 111 सहपठित धारा 128 (पत्थरगढ़ी) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजूदगी में विवादित भूमि ख० न० 29 रकबा 0.93 है० राजस्व ग्राम काजी की मुताबिक फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.06.2020 पटवारी हल्का के मुताबिक पत्थरगढ़ी किया जाना सुनिश्चित करें। फर्द सीमाज्ञान की प्रति संलग्न कर भिजवाई जावें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरजगढ़

पुलखा/ओपेश इलाक 1-1-2020 से राजस्व ग्राम काजी  
के मुताबिक फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26-6-2020  
के अधिन पर फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 3-7-20  
के पटवारी हल्का के मुताबिक पत्थरगढ़ी किया जाचा  
सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

